सर्वोच्च प्राथमिकता / अतिमहत्वपूर्ण

संख्याः 1423 /अड़तीस–5–2017-6 सम/2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 01 अगस्त, 2017

विषयः– जनपद स्तर पर निर्मित/संचालित /निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में अनुश्रवण किया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जनपद स्तर पर निर्मित/ संचालित / निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के पर्याप्त अनुश्रवण नहीं होने के कारण ग्रामीण आबादी को पेयजल आपूर्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शासन द्वारा योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि के परिप्रेक्ष्य में कतिपय योजनाएँ अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी हैं तथा पूर्व निर्मित कतिपय पेयजल योजनाएँ या तो पूर्णतः अक्रियाशील है अथवा आंशिक रूप से ही क्रियाशील हैं।

2– उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत जनपद स्तर पर निर्मित/ संचालित/ निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के भौतिक / वित्तीय प्रगति तथा निर्मित योजनाओं से सुचारू पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता हैः–

1. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी–	**अध्यक्ष**
2. मुख्य विकास अधिकारी–	**सदस्य**
3. जिला विकास अधिकारी–	**सदस्य**
4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम–	**सदस्य सचिव**

3– उक्त समिति द्वारा जनपद में संचालित/ निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं की भौतिक–वित्तीय प्रगति की मासिक समीक्षा के साथ–साथ निर्मित पेयजल योजनाओं द्वारा सुचारू रूप से जलापूर्ति व्यवस्था का अनुश्रवण भी किया जायेगा। इस समिति द्वारा अनुश्रवण / समीक्षा के उपरान्त अनुपालन आख्या प्रत्येक माह के 03 तारीख तक अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 सरोजनी नायडू मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके ई–मेल ed.swsmup@rediffmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समस्त जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन करते हुए संकलित आख्या/सूचना शासन को माह की 10 तारीख तक अवश्यमेव उपलब्ध करायी जाए।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 1423 (1)/अड़तीस–5–2017, तद्‌दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा/ झांसी मण्डल, झांसी।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सहदेव)
विशेष सचिव।

26/07/17